

फर्द अहकाम
(नियम-26)

अजु अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम जायल (नागौर)

वादीगण
गोदावरी

बनाम

प्रतिवादीगण

बलवीर वगैरह

किस्म प्रकरण : राजस्व वाद

मुकदमा नं.- 87/2015

तारिख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशिलस जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये।
08.05.15	<p>यह वाद वादी ने अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रतिवादीगणों के विरुद्ध अधीन धारा 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है। वाद वादी का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 10.06.2015 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">4</p> <p style="text-align: center;">सहायक कलक्टर (एस. डी. एम.) जायल (नागौर)</p> <p style="text-align: center;">जज/प्रधान जज के आधेवत 10/6/15</p> <p style="text-align: center;">प्रतिवादीगणों को लिखित में/अनुप पत्रावली पर नोटिस जारी हुआ प्रकरण को न्याय दिनांक 13/8/15 को सुनवाई करें।</p> <p>13/8/15 वकील वादी इण। प्रतिवादी 1। की ओर से जवाब-दावा पेश हुआ। जजल दिलाई गयी पत्रावली वास्तु तलवी प्रतिवादी 1 व 2 एवं 3 हेतु दिनांक 3/9/15 को पेश हो 4</p> <p>3/9/15 वकूलाय 3। प्रतिवादी 2। व 3 की तलवी हेतु सम्मन पेश हो पत्रावली दिनांक 18/9/15 का पेश हो 4</p>	

तारीख

पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश

आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट

प्रकार/प्रकाशन के अतिरिक्त

11.4.18

पीठासीन अधिकारी की विधि में प्रमाण अवकाश पर गये हुए हैं, इसलिए प्रकरण उच्चतम समक्ष दिनांक 11.6.18 को प्रस्तुत करें।

22.5.18

पत्रावली न्याय काय के माह सिविल के कल लेवा केन्द्र परशोड में पेश हुयी वकील कडी के कोर्ट से कट विवेदन किया कि कडी का काय चलाना नहीं चाहते हैं इसलिए नोन्प्रेश कट विवेदन है कि यदि विदेश स्वामीज किया जाये वकील कडी के विवेदन पर काय यदि विदेश स्वामीज किया जाता है पत्रावली फेसल शुभाहोकर नम्बर से कटोकर इकाय वाकिल हो।

Not done
[Signature]